

नगरपालिका निर्वाचन



मतदाता सूची  
तैयार करने के लिए  
नियुक्त कर्मचारियों के लिए

निर्देश - पुस्तिका



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग  
रायपुर

---

(मार्च 2004)

## अध्याय-1

### नियुक्ति और प्रशिक्षण

मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। सूची जितनी परिपूर्ण और सही होगी चुनाव उतने ही साफ-सुथरे होंगे। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में यथासम्भव ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानूनन मतदान का अधिकार प्राप्त है और साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. नगरपालिका निर्वाचन के लिए, मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाती है। यह सूची विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूची (अर्थात् अद्यतन सूची) पर आधारित रहती है। इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को वार्डवार छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके पहले प्रारूप सूची या प्रारम्भिक सूची बनाई जाती है। तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से संबंधित प्रारूप सूची को, कम से कम 07 दिन तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित नगरपालिका के कार्यालय/उपकार्यालय एवं कतिपय अन्य स्थानों (केन्द्रों पर) आम लोगों के निरीक्षण और उसके संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। निर्धारित

अवधि के दौरान उक्त सभी स्थानों पर, मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने के लिए तथा उसमें नए नाम जोड़े जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाए जाने या किसी अशुद्धि या त्रुटि को सुधारे जाने के सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जिसे “प्राधिकृत कर्मचारी” कहा जाता है. प्राधिकृत कर्मचारी संबंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है.

3. नगरपालिका के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहां कि प्रारूप मतदाता सूची का निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियां प्राप्त की जावेंगी. आपको “प्राधिकृत कर्मचारी” के तौर पर नियुक्त किया गया है. आपका चयन इस बात का सूचक है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है, अतः आपसे यह अपेक्षित है कि आप इस भरोसे के अनुरूप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से संपन्न करें.

4. प्रारूप मतदाता सूची का आम लोगों द्वारा निरीक्षण किये जाने और दावे तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए नियमों में न्यूनतम 7 दिन का समय निर्धारित है. इस अवधि के दौरान आपको प्रत्येक कार्यकारी दिन उस केन्द्र (स्थान) पर, जहां कि आपकी ड्यूटी लगायी है, दिनभर (अर्थात् प्रातः 10 बजे से

सायं 5 बजे तक) उपलब्ध रहना होगा. ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही को एक गम्भीर कदाचरण माना जायेगा ।

5. जिस तारीख को प्रारूप मतदाता सूचियों का सार्वजनिक प्रकाशन होगा अर्थात् जिस दिन से उनका आम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, उसके पहले ही आपको संबंधित वार्डों की प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध करा दी जायेंगी. ऐसी तारीख के लगभग एक सप्ताह पूर्व आपको, आपकी नियुक्ति का आदेश भी सीधे या आपके विभागीय नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा. नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिए कब और किस स्थान पर उपस्थित होना है. तदनुसार आपको उस दिन ठीक समय पर, हर-हालत में निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा. आपको प्रशिक्षण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जायेगा और लगभग 3 घण्टे तक चलेगा. प्रशिक्षण सत्र में संबंधित नगरपालिका के लिये नियुक्त सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेंगे.

प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी. अपनी शंकाओं के निवारणार्थ आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने का पूरा अवसर दिया जाएगा. आपको यह भी समझाया जायेगा कि दावे और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्ररूपों (फार्म्स) को कैसे भरा जाना है और उनके संबंध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच या

पूछ-ताछ में किन-किन बातों की और विशेष ध्यान दिया जाना है. इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेंगे उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना स्वयं ही (अकेले) करना पड़ेगा.

6. प्रशिक्षण सत्र में आपको निम्नांकित सामग्री प्रदाय की जायेगी:-

- (1) आपके प्रभार के प्रत्येक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति,
- (2) दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये 3 किस्म के प्ररूप (फार्म) (आवश्यक संख्या में),
- (3) प्राप्त दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण फार्म (आवश्यक संख्या में).

नोट.- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा संबंधित नगरपालिका के मुख्यालय पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी को संबंधित नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का एक सेट दिया जायेगा.

प्रदाय की गई उपरोक्त सामग्री की सुरक्षा और देखभाल के लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार होंगे.

आपको दिये जाने वाले दावा फार्मों (प्ररूप-क) की संख्या, वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या की लगभग 2 % रहेगी, जबकि आपत्ति फार्मों (प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग) की संख्या लगभग 1 % रहेगी. प्राप्त “दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण” तैयार करने के लिए प्रदाय किये जाने वाले फार्मों की संख्या, 2 फार्म प्रतिदिन के मान से उतने दिनों के लिए होगी जितने दिनों तक मतदाता सूची को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए खुला रखा जायेगा. साथ ही आपको कोरे कागज की 2 शीटें भी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि को विशेष सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिए प्रदाय की जायेगी.

\*\*\*\*\*

## अध्याय-2

### मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निरर्हता

1. कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह -

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जा रही है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(ख) उस वार्ड का सामान्य तौर से निवासी है, और

(ग) विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों में (जो कि उक्त वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है.

2. कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह -

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या

- (ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष-सिद्धी के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, नहीं बीत गई हो, या
- (घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है.
- (ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिये अयोग्य है.

3. किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा:

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हिता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हिता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो.



4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर “अपील प्राधिकारी” को अपील कर सकता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा जिस मुख्यालय की नगर पंचायतों के लिये संबंधित कलेक्टर/अपर कलेक्टर को तथा अन्य नगर पंचायतों के लिए सम्बन्धित अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) को, अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है.

\*\*\*\*\*

### अध्याय-3

#### दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये निर्धारित अवधि के दौरान आपको अपने केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए. इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए. तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररूप) तत्परता से उपलब्ध कराया जाए. दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आखरी तारीख को केवल 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं. यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है.

(2) सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों के संबंधित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए. यदि कोई अन्य व्यक्ति, भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग-अलग आवेदन पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग-अलग पूछ-ताछ की जानी होगी.

(3) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं:-

- (क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,
- (ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना तथा
- (ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है.

दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है वे अपने मन से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक

नहीं है, वे निर्धारित प्ररूप की फोटोकापी में, या टाइप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते हैं.

आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित हैं:-

- (1) दावा-(प्ररूप-क)- “दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है. दावा आवेदन-पत्र का नमूना परिशिष्ट-1 में दिया गया है.”

दावे के समर्थन में आवेदन-पत्र में यथास्थान किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जिसका नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है.

“यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.”

- (2) आपत्तियां (प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग) -  
आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात्:-

- (I) मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे - (जैसे-मकान नंबर, नाम, पिता/पति या नाम, आयु) “के संबंध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति” (प्ररूप-ख) :-

ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है. इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है. ऐसी आपत्ति से संबंधित आवेदन-पत्र का नमूना परिशिष्ट-2 में दिया गया है.

(II) मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति (प्ररूप-ग)-ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो संबंधित नगरपालिका का मतदाता है. साथ ही, ऐसी आपत्ति के समर्थन में, आवेदन-पत्र में यथास्थान, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जो पहले से ही उस वार्ड का मतदाता है. ऐसी आपत्ति से संबंधित आवेदन-पत्र का नमूना परिशिष्ट-3 में दिया गया है.

(4) आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररूप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें.

(5) कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपत्तिकर्ता को, संगत प्ररूप के अन्त में लगी हुई “आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना” हाथों-हाथ दी जाए. मामले में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो. उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन-पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी की तारीख 9 की डाली जाए परन्तु यदि 9 तारीख को सार्वजनिक अवकाश हुआ तो पेशी तारीख 10 की डाली जाए. साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर, उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए.

(6) प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए. पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :-

- (i) 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज (प्रमाण पत्र) उपलब्ध न हो तो

उसके पास अन्य कौन सा कागज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है. यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधान सभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है?

- (ii) वह सामान्यतया कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं?
- (iii) जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई?
- (iv) जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग) की गई है, वह कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

(7) उपरोक्त पूछ-ताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए. उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं?

पूछ-ताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज-पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए. यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है. वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिये आगे और पूछ-ताछ कर सकता है या अलग से और भी जांच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है.

(8) आपके द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम को परिशिष्ट-4 में दिये फार्म में दो प्रतियों में तैयार किया जाए. इस विवरण की एक प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् केन्द्र के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10.00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिये लगा दी जाए, नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए. इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र



व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो नगर के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिये आपको या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें. यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए. दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये गये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए.

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए. उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम तक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए.

(9) कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररूप (फार्म) सादे कागज पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं) रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं. इसके बाद ही आप अपनी ड्यूटी से मुक्त माने जायेंगे.

\*\*\*\*\*

प्ररूप-क

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिये  
दावा-आवेदन

(नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-क")

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,  
नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपंचायत.....  
जिला.....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता / करती हूँ कि उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए,  
मेरा नाम (पूरा).....पुरुष/स्त्री.....  
पिता/पति का नाम.....गृह क्रमांक.....  
मोहल्ला/गली.....

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:-

- (i) मैं भारत का/की नागरिक हूँ.
- (ii) गत 1 जनवरी को मेरी आयु .....वर्ष  
और .....मास थी.

- ( iii ) मैं ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ.
- ( iv ) मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिये मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है.
- ( v ) उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

या

मेरा नाम ग्राम/नगर.....जिला.....  
जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यतः निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है, और मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाए:-

\*ग्राम.....वार्डक्रमांक.....  
ग्रामपंचायत.....विकासखण्ड.....जिला.....  
\*नगर.....वार्डक्रमांक.....  
तहसील.....जिला.....  
स्थान.....  
तारीख.....

.....  
दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

\*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

## दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूँ जिसमें सम्मिलित किये जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है. मेरा नाम उक्त नगर के वार्डक्रमांक.....की मतदाता सूची में भाग क्रमांक.....में क्रमांक.....पर दर्ज है. मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूँ और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूँ.

.....

समर्थक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

**टिप्पणी.-** जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

---

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख.....

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना  
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप-क में  
आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय  
में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे  
सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख..... प्राधिकृत कर्मचारी.....  
वार्डक्रमांक.....  
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप:-

- (1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को  
प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के  
समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है.
- (2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

.....  
.....  
.....

तारीख..... हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी  
(नाम .....)  
वार्ड का क्रमांक.....

## आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक.....

तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जो.....का/की निवासी है,  
द्वारा “प्ररूप-क” में प्रस्तुत आवेदन को,-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त  
नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....  
के भाग क्रमांक..... में सम्मिलित कर  
लिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है:-

.....  
.....

मोहर

. . . . .  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
नगरपालिका.....

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति  
(नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित “प्ररूप-ख”) सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,  
नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपंचायत.....  
जिला.....

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि उक्त नगर के वार्डक्रमांक.....  
के भाग क्रमांक.....की मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो  
क्रमांक.....पर “.....”के रूप में दी हुई है,  
शुद्ध नहीं है. कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप में  
पढ़ी जाए:-

.....  
.....

स्थान .....  
तारीख ..... मतदाता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान  
पूरा नाम .....

टिप्पणी.- जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है  
जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे  
ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे  
विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.



सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान  
तारीख ..... प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना  
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....  
.....का/की निवासी है, से प्ररूप-ख में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख.....

प्राधिकृत कर्मचारी.....  
वार्डक्रमांक.....  
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप:-

- (1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....  
को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के  
लिये सूचित किया गया है.
- (2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट  
निम्नानुसार है:-

.....  
.....  
.....  
.....

तारीख.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी  
(नाम .....)  
वार्ड का क्रमांक.....

## आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक.....

तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जो.....का/की निवासी है,  
द्वारा “प्ररूप-ख” में प्रस्तुत आपत्ति को :-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को  
शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप  
में पढ़ी जाएगी -

.....  
.....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है:-

.....  
.....

मोहर

. . . . .  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति  
(नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वाराविहित  
“प्ररूप-ग”)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपंचायत.....

जिला.....

महोदय,

मैं, उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....

के भाग क्रमांक ..... में क्रमांक ..... पर  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....का नाम सम्मिलित किए जाने  
पर, निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूँ:-

.....  
.....

2. मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित  
तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं. उक्त  
वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित  
हुआ है:-

पूरा नाम .....पुरुष/स्त्री.....

पिता/पति का नाम.....  
वार्डक्रमांक.....भाग क्रमांक.....  
मतदाता क्रमांक.....

तारीख.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान  
पूरा डाक पता.....

### आपत्ति का समर्थन

मैं, उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूँ, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है. मेरा नाम वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची के भाग क्रमांक.....में क्रमांक.....पर दर्ज है. मैं इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूँ और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूँ.

. . . . .  
मतदाता के हस्ताक्षर  
पूरा नाम.....

---

**टिप्पणी.-** जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

---

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान  
तारीख ..... प्रस्तुतकर्ता

---

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना  
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जो .....का/की निवासी है, से प्ररूप-ग में  
आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने  
कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः  
की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ  
उपस्थित हों.

तारीख.....

प्राधिकृत कर्मचारी.....

वार्डक्रमांक.....

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट:-

- (1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....  
को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/ सहायक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के  
लिये सूचित किया गया है.
- (2) प्रारंभिक पूछ-ताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट  
निम्नानुसार है:-

.....  
.....  
.....  
.....

तारीख.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी  
(नाम .....)  
वार्ड का क्रमांक.....

## आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक.....

तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....

का/की निवासी है, द्वारा “प्ररूप-ग” में प्रस्तुत आपत्ति को:-

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्डक्रमांक.....के भाग क्रमांक.....में क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती .....के नाम को निकाल दिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:-

.....  
.....  
.....  
.....



. . . . .  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
नगरपालिका .....



**नगरपालिका निर्वाचन**

**परिशिष्ट-4**

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....

जिला.....

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख.....

**भाग-1 दावे**

(नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**भाग-2 आपत्ति**

(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**भाग-3 आपत्ति:- (नाम विलोपित किये जाने के लिए)**

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

कार्य स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी